किसानों ने कूच किया भोपाल

किसानों की हुंकार से गूंजा भोपाल, 'किसान क्रांति पैदल यात्रा' बनी अन्नदाताओं की आवाज

नवभारत न्यूज़

नर्मदापुरम/मंडीदीप/भोपाल, 28 जुलाई. मध्यप्रदेश के किसानों की आवाज अब राजधानी भोपाल तक पहुंच चुकी है. अपनी मांगों और अधिकारों को लेकर नर्मदापुरम से शुरू हुई 'किसान क्रांति पैदल यात्रा' मंगलवार को भोपाल पहुंची. हजारों अन्नदाताओं की मौजूदगी ने इस यात्रा को प्रदेश के किसान आंदोलन का बड़ा स्वरूप दे दिया. किसानों ने साफ संदेश दिया कि वे किसी टकराव के लिए नहीं, बल्कि अपनी मेहनत, फसल और भविष्य के सम्मान की लड़ाई लड़ने आए हैं. संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में शामिल किसानों ने मूंग की 100 प्रतिशत सरकारी खरीदी, ई-टोकन विकास प्रणाली को निरस्त करने, खाद की सुचारु उपलब्धता और किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग उठाई.

नर्मदापुरम से शुरू हुई यह यात्रा जैसे-जैसे आगे बढ़ी, वैसे-वैसे इसमें किसानों की संख्या और संगठनों का समर्थन बढ़ता गया.

मंडीदीप स्थित कलियासोत नदी के पुल पर पुलिस बैरिकेडिंग के बावजूद किसानों का उत्साह कम नहीं हुआ. बड़ी संख्या में किसान राजधानी की ओर आगे बढ़े और मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया.किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार शाम कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखीं. प्रतिनिधिमंडल में शामिल किसानों को कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री से चर्चा कर जवाब देने की बात कही, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय अभी तय नहीं हो पाया है. राष्ट्रीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष राकेश गौर ने बताया कि किसानों का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए गया था.अब किसान रात्रि विश्राम के बाद बुधवार को आगे की रणनीति तय करेंगे. कृषि मंत्री से मुलाकात के दौरान नर्मदापुरम, हरदा, सीहोर, रायसेन आदि जिलों से किसान सदस्य राकेश गौर, संतोष पटवारे, लीलाधर सिंह राजपूत, राजेश धाकड़, राकेश सुमरद्वार, प्रतीक शर्मा, राम इनारिया, राजनारायण, दीपा मीना, जीतेन्द्र भार्गव, सचिन शर्मा आदि किसान शामिल थे.

आंदोलन में शामिल किसानों का कहना है कि उनकी लड़ाई सिर्फ समर्थन मूल्य या खरीदी तक सीमित नहीं है, बल्कि खेती को लाभकारी बनाने और किसान परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग है.किसानों का आरोप है कि मूंग की पूरी सरकारी खरीदी नहीं होने के कारण कई किसानों को मजबूरी में अपनी उपज कम कीमत पर बेचनी पड़ती है.

सात दिन के राशन-पानी के साथ पहुंचे किसान

किसान नेताओं ने बताया कि आंदोलन में शामिल किसान पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हैं. कई किसान अपने साथ सात दिन का राशन-पानी लेकर आए हैं. उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं. यात्रा में नर्मदापुरम संभाग के 13 किसान संगठनों ने शुरुआत की थी, जो आगे बढ़ते-बढ़ते 19 संगठनों तक पहुंच गई. इससे साफ है कि किसानों के मुद्दों को लेकर प्रदेशभर में एकजुटता बढ़ रही है.

देर शाम आठ आईएएस के तबादले

शहडोल, छतरपुर और बालाघाट में नए कलेक्टर

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 28 जुलाई. राज्य सरकार ने मंगलवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 अफसरों के तबादले किए हैं. ताजा आदेश में तीन जिलों शहडोल, छतरपुर और बालाघाट में नए कलेक्टर पदस्थ किए गए हैं. वहीं मंदसौर जिले के कलेक्टर को हटा दिया गया है, उनके स्थान पर अभी किसी की पोस्टिंग नहीं की गई है.

आदेश के तहत छतरपुर कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे पार्थ जायसवाल को अब शहडोल कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है. तीन दिन पहले ही रतलाम कलेक्टर मिशा सिंह को शहडोल कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया गया था, लेकिन उन्हें अब अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास मप्र के पद पर पदस्थ किया गया है. उन्होंने निजी कारणों से शहडोल कलेक्टर के पद पर पदस्थ नहीं करने के साथ ही भोपाल या इंदौर में पदस्थ किये जाने का अनुरोध किया था. लिहाजा उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है. इधर मृणाल मीणा जो कि अब तक बालाघाट जिले की कमान संभाल रहे थे, उन्हें अब छतरपुर जिले का कलेक्टर पदस्थ किया गया है. फिलहाल बालाघाट जिले का चावल घोटाला चर्चा में बना हुआ है, जिसकी आंच अब नेताओं तक पहुंच रही है. हांलाकि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन रसूखदारों पर अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी है. ऐसे में मिलीभगत के आरोप भी लगने लगे हैं. कलेक्टर को हटाने के पीछे एक कारण यह भी बताया जा रहा है. कुमार सत्यम अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर अब बालाघाट जिले के नए कलेक्टर होंगे. इधर मंदसौर की कलेक्टर सुश्री अदिति गर्ग को हटा दिया गया है. उन्हें अब परियोजना संचालक, मप्र स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भोपाल व सीईओ मप्र राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है. तीन दिन पहले जारी हुई आईएएस अफसरों की तबादला सूची में सुश्री गर्ग को ओएसडी सह आयुक्त सह संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है. तत्कालीन आयुक्त भास्कर लक्षकार को इंदौर संभागायुक्त बनाने के कारण ये पद रिक्त हो गया था, अब इस पद पर दिनेश जैन की पदस्थापना की गई है.

अदिति गर्ग

दिनेश जैन

मृणाल मीणा

सोमवंशी को अतिरिक्त प्रभार

स्वरोचित सोमवंशी को मौजूदा दायित्वों के साथ सदस्य सचिव राज्य योजना आयोग भोपाल तथा संचालक तथा संचालक अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से दिया गया है. वहीं सोमवंशी द्वारा राज्य योजना आयोग और सुशासन संस्थान में अतिरिक्त प्रभार का कार्यभार संभालने पर ऋषि गर्ग केवल सदस्य सचिव राज्य योजना आयोग भोपाल तथा सुशासन संस्थान भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

अधिकारियों की सूची इस प्रकार है...

अधिकारी	वर्तमान पदस्थापना	नई पदस्थापना
दिनेश जैन	अपर सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	ओएसडी सह आयुक्त सह संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
गिरीश शर्मा	परियोजना संचालक स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भोपाल	अपर सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
अंकित अस्थाना	उप सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	उप सचिव जीएडी व संचालक कर्मचारी चयन मंडल भोपाल अतिरिक्त प्रभार
सुश्री अदिति गर्ग	कलेक्टर मंदसौर	परियोजना संचालक मप्र स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट
पार्थ जायसवाल	कलेक्टर छतरपुर	कलेक्टर शहडोल
मृणाल मीणा	कलेक्टर बालाघाट	कलेक्टर छतरपुर
सुश्री मिशा सिंह	कलेक्टर रतलाम	अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास
कुमार सत्यम	अपर कलेक्टर ग्वालियर	कलेक्टर बालाघाट

दतिया विधानसभा उपचुनाव में प्रचार का शोर थमा, 30 जुलाई को होगा मतदान

भोपाल/दतिया. मध्यप्रदेश की हाईप्रोफाइल दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जनसभाओं, रैलियों और लाउडस्पीकरों का शोर अब थम गया है. चुनाव प्रचार का अंतिम समय पूरा होते ही निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बाहरी नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्षेत्र छोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. अब चुनावी रणभूमि का मिजाज पूरी तरह बदल गया है और प्रत्याशी डोर-टू-डोर (घर-घर) जनसंपर्क कर मतदाताओं को साधने में जुट गए हैं.

प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. मतदान की तारीख 30 जुलाई को मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. मतगणना व परिणाम 3 अगस्त को आयेगें. प्रचार का शोर थमते ही सभी प्रमुख दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी रणनीति बदल ली है. बड़े मंचों और रैलियों की जगह अब व्यक्तिगत संवाद ने ले ली है. प्रत्याशी और उनके नजदीकी समर्थक देर रात तक मोहल्लों, कॉलोनियों और ग्रामीण इलाकों में घर-घर पहुंचकर अपने पक्ष में वोट की अपील करने की योजना बना रहे हैं. इस 'साइलेंट पीरियड' (मौन अवधि) में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की अंतिम कोशिशें की जाएगी.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम और धारा 144 लागू

चुनाव आयोग और स्थानीय पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है. दतिया की सीमा से लगे अन्य जिलों और राज्यों के बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ा दी गई है. संवेदनशील और अति-संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें या आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

वन्यजीव के लिए सुको से जारी निर्देशों के अनुसार बनाई जाए गाइडलाइन

हाईकोर्ट ने दी राज्य सरकार को 4 माह की मोहलत

जबलपुर, 28 जुलाई. जंगली हाथियों के संबंध में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार वन्यजीव के संरक्षण के संबंध में गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिये है. युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 6 माह बाद निर्धारित की है.

रायपुर निवासी नितिन सिंघवी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ से जंगली हाथियों के झुंड मध्यप्रदेश के जंगलों में प्रवेश करते हैं, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं और घरों में तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं. कुछ मामलों में जंगली हाथियों द्वारा किए गए हमलों में लोगों की मौत भी हो चुकी है. प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के आदेश पर ही इन हाथियों को पकड़ा जा सकता है. जंगली हाथी संरक्षित वन्य प्राणियों की प्रथम सूची में आते हैं और पकड़े जाने के बाद उन्हें टाइगर रिजर्व में भेजकर प्रशिक्षण दिया जाता है.

युवक की आत्महत्या के बाद मेडिकल स्टोर से संदिग्ध दवाओं का जखीरा बरामद

मुरैना, 28 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में नशीले इंजेक्शन की लत से परेशान एक युवक की आत्महत्या के मामले में औषधि नियंत्रण विभाग की जांच के दौरान पोरसा स्थित एक मेडिकल स्टोर और उसके गोदाम से बड़ी मात्रा में संदिग्ध दवाएं बरामद की गई हैं। पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार कर मामले की जांच तेज कर दी है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार पोरसा निवासी 20 वर्षीय सर्वेश राठौर ने 24 जुलाई को कथित रूप से नशे की लत से परेशान होकर स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर आरोप लगाया था कि वह पोरसा के एक मेडिकल स्टोर से महंगे दामों पर नशीले इंजेक्शन खरीदकर नशे का आदी बन गया था। उसने यह भी दावा किया था कि पिछले चार वर्षों में नशे पर 10 से 12 लाख रुपये खर्च कर चुका था तथा आर्थिक तंगी होने पर मेडिकल स्टोर संचालक उसे उधार पर भी इंजेक्शन उपलब्ध कराता था।

वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने घटना वाले दिन ही संबंधित मेडिकल स्टोर को सील कर दिया था। मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देश पर गठित औषधि नियंत्रण विभाग की चार सदस्यीय टीम ने स्टोर की जांच की। जांच में मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लगभग एक माह पहले समाप्त होना पाया गया। साथ ही स्टोर और उसके गोदाम से लगभग सात लाख रुपये मूल्य की संदिग्ध दवाएं बरामद की गईं। पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक राजकुमार अग्रवाल को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण तथा अन्य प्रासंगिक धाराओं में गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। साथ ही बरामद दवाओं और उनके विक्रय से संबंधित पहलुओं की भी जांच जारी है।

जन आशीर्वाद रैली को लेकर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन

विशेष संवाददाता

भोपाल/दतिया, 28 जुलाई. दतिया विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस ने मंगलवार को आयोजित जन आशीर्वाद रैली में भारी जनसमर्थन मिलने का दावा करते हुए इसे परिवर्तन के पक्ष में जनता के स्पष्ट जनादेश का संकेत बताया. पार्टी नेताओं ने विश्वास जताया कि कांग्रेस प्रत्याशी कुँवर घनश्याम सिंह निर्णायक जीत दर्ज करेंगे. रैली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. सभा को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने दावा किया कि जनता का रुझान पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में है और कुँवर घनश्याम सिंह 25 हजार से अधिक मतों के अंतर से विजयी होंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल के विकास संबंधी दावों को मतदाता नकार देंगे. उनके अनुसार यह उपचुनाव लोकतंत्र, पारदर्शिता, विकास और जनकल्याण के पक्ष में जनमत का अवसर है. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उपचुनाव को लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की लड़ाई बताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से 30 जुलाई को मतदान के दिन प्रत्येक बूथ पर पूरी सक्रियता से काम करने का आह्वान किया.

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि रैली में उमड़ा उत्साह इस बात का संकेत है कि दतिया की जनता बदलाव के पक्ष में है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पार्टी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है, हालांकि अंतिम निर्णय मतदान के दिन मतदाताओं के हाथ में होगा.

जंगल से फोरलेन निकालने के संबंध में एनएचएआई ने पेश की रिपोर्ट

जबलपुर, 28 जुलाई. मप्र हाईकोर्ट में बैतूल- भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग में जंगल के क्षेत्र से फोरलेन सड़क निर्माण किये जाने के संबंध में एनएचएआई की ओर से स्टेटस रिपोर्ट पेश की गयी. हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने रिपोर्ट पर एनटीसीए को आपत्ति पेश करने के आदेश जारी किये है. अमरावती महाराष्ट्र निवासी अद्वैत क्योले की ओर से दायर याचिका में बैतूल.भोपाल राष्ट्रीय राजमाग-49 को फोरलेन में तब्दील किये जाने को चुनौती दी गयी थी.

गिरिबाला और समर्थ की न्यायिक हिरासत 14 दिन की बढ़ी

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 28 जुलाई. पूर्व जज और ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी सास गिरिबाला सिंह की न्यायिक हिरासत फिर से 14 दिन की बढ़ा दी गई है. मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई. दोनों आरोपी अब 11 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे.

जानकारी के सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में अपने तर्क रखे. गिरिबाला सिंह के बचाव के अधिवक्ता ने सीबीआई से अबतक कितने लोगों से मामले में पूछताछ की गई है. इसपर सवाल किया, जिस पर सीबीआई की तरफ से जांच जारी होने और कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं करने की बात कोर्ट को बताई गई.

इसके साथ ही सीबीआई को आरोपियों के वॉइस सैंपल नहीं देने के मुद्दे पर होने वाली बहस पर बचाव पक्ष ने अधिकारियों के ठीक व्यवहार नहीं होने की बात अदालत को बताई गई. बचाव पक्ष ने मामले में आपत्ति भी कोर्ट से दर्ज कराई गई. कोर्ट में सुनवाई के दौरान ट्विशा के पिता और भाई भी मौजूद रहे. दोनों ने अदालत की कार्रवाई को देखा भी.

बता दें कि इससे पहले गिरिबाला सिंह ने अपनी 100 साल की मां की सेवा करने का हवाला देते हुए कोर्ट में जमानत याचिका का आवेदन लगाया, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और गिरिबाला सिंह की याचिका खारिज कर दी गई.

सहकारी केन्द्रीय बैंक में 41.58 लाख के गबन मामले में फरार शाखा प्रबंधक गिरफ्तार

खरगोन. जिले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की ठीबगांव शाखा में 41.58 लाख रुपये के गबन के मामले में फरार चल रहे शाखा प्रबंधक को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जैतापुर थाना प्रभारी ने बताया कि शाखा प्रबंधक राजेश राठौर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उसे बैंक की ठीबगांव शाखा में 41 लाख 58 हजार 95 रुपये के गबन के मामले में आरोपी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि 25 मई को बैंक की कैशियर रितु गोयल के अचानक फरार होने के बाद बैंक द्वारा की गई आंतरिक जांच में गबन का खुलासा हुआ था।

MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED
6th Ground Floor, Narayan Chambers, B/h, Patang Hotel, Ashram Road, Ahmedabad-380009, Contact : 079-41106500

POSSESSION NOTICE
(FOR IMMOVABLE PROPERTY) Rule 8(1) of Security Interest (Encforcement Rules 2002)

Whereas the undersigned being the Authorized officer of the **MAS Financial Services Limited** under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act - 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice 08/04/2026 as on below details calling upon the Borrowers/Co-borrower/Guarantor to repay the amount mentioned int he notice being within Sixty Days from the date of receipt of the said notice.
The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Co-borrower/Guarantor and the public in general that the undersigned has taken **Symbolic Possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of the said [Act] read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, on this **27th Day of July of the year 2026.**
The Borrower/Co-borrower/Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the Property will be subject to the charge of the **MAS Financial Services Limited** as on 12/03/2026 and interest thereon.
The Borrower/Co-borrower/Guarnator attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Borrower & Co-Borrower, Guarantor Name	Mortgage Property Details:-	Loan A/C No. Date of Possession	Date & Amount of Demand Notice
1. M/S. BANNERS (THROUGH PROPRIETOR MRS. NAMITA JAIN) (APPLICANT) 2. MRS. NAMITA SUDHIR JAIN (CO-APPLICANT & GUARANTOR) 3. MR. SUDHIR SURESH CHAND JAIN (CO-APPLICANT & GUARANTOR) 4. M/S. ZERO GARMENTS (THROUGH PROPRIETOR MR. SUDHIR SURESH CHAND JAIN (CO-APPLICANT & GUARANTOR)	NAME OF MORTGAGOR / EXECUTOR : SMT. NAMITA W/O SHRISUDHIR JAIN SURESH CHAND JAIN MORTGAGE PROPERTY DETAILS:- ALL THAT PIECE & PARCEL OF FLAT NO. 104, 1ST FLOOR, "SHREE MANI VINAYAK COMPLEX", MUNICIPAL HOUSE NO. 59(OLD NO.47), MANIK CHOWK, INDORE, MEASURING 692 SQ.FT. (BUILT UP AREA) & 934.2 SQ.FT. (SUPER BUILT-UP AREA). BOUNDED AS FOLLOW AS PER SALE DEED : EAST BACKLINE, WEST : COMMON PASSAGE & STAIR, NORTH : FLAT NO 103, SOUTH : P.H.E. QUARTER	Loan A/c No.: 5792996 27-Jul-2026	Rs. 2,05,05,543/- (Rupees Two Crore Five Lakhs Five Thousand Five Hundread Forty Three Rupees Only) As On Date 12/03/2026

Date : 29/07/2026
Place : INDORE

Authorized Officer,
For, MAS Financial Services Limited

pnb Housing Finance Limited
पंजीकृत कार्यालय : नौवीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com,
शाखा का पता : दुकान संख्या 313, ब्लॉक संख्या सी, पहली मंजिल, राधा वल्लभ मार्केट, खरगौन, मध्य प्रदेश-451001 और पहली मंजिल, प्लॉट संख्या 40, एम.एन. 39, सर्वे संख्या 37, मीरा कॉलोनी, ग्राम कित्यानी, रानी लक्ष्मी बाई चौराहा, संजीत नाका, मंदसौर 458001, मध्य प्रदेश और प्रथम तल, इंद्रासन टॉवर-2, प्लॉट नंबर 59, 59, 60, 67 और 68, संस्कार वेल्ली पर स्थित है. वेल्ली, एसबीआई बैंक के पीछे, महू-नीमच रोड सी-1, पीथमपुर, मध्य प्रदेश-454775 एवं कार्यालय क्रमांक 103, प्रथम तल, स्मार्ट ट्रेड, भोज मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन, मध्य प्रदेश-456001

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय III की धारा 13 (2) के तहत नोटिस, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पढ़ा जाए, दिनांकानुसार संशोधित. हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसके बाद 'पीएनबीएचएफएल' के रूप में संदर्भित) ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय III की धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस जारी किया है. उक्त मांग नोटिस हमारे अधिकृत अधिकारी के माध्यम से नीचे उल्लिखित सभी उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों को जारी किया गया है, क्योंकि किश्तों/ब्याज के भुगतान न होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक/ नेशनल हाउसिंग बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार आपके खाते को गैर-निष्पादित (एनपीए) परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसमें आपके द्वारा मूलधन, ब्याज आदि की किश्तों के भुगतान में की गई चूकें शामिल हैं. इसके अलावा, हम कारण सहित मानते हैं कि आप मांग नोटिस की तामील से बच रहे हैं, इसलिए हम यह मांग नोटिस प्रकाशित कर रहे हैं, जो उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत भी आवश्यक है. आपको इस मांग नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर 'पीएनबीएचएफएल' को उपरोक्त राशि का भुगतान अद्यतन ब्याज और शुल्कों सहित करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर 'पीएनबीएचएफएल' उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के सभी या किसी भी प्रावधान के तहत सभी या किसी एक या अधिक सुरक्षित संपत्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई/उपाय करेगा, जिसमें उधारकर्ताओं और गारंटरों की सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा करना भी शामिल है. कृपया आपका ध्यान वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार आप सार्वजनिक नीलामी, बोलियां आमंत्रित करके, जनता से निविदाएं आमंत्रित करके या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए नोटिस प्रकाशित होने की तिथि तक ही पीएनबी एचएफएल द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों सहित बकाया राशि का पूरा भुगतान कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत आपको उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

क्र.	ऋण खाता नं.	ऋणकर्ता और सह-ऋणकर्ता(ओं) का नाम/पता	गारंटरों का नाम और पता	गिरवी रखी गई संपत्ति	मांग सूचना की तिथि	वर्तमान तिथि तक बकाया राशि मांग सूचना
1.	एनएचएल/आरकेएचए/1224/5115505 बी.ओ.: खरगौन	श्री/श्रीमती गिरजा बाई (उधारकर्ता), श्री/श्रीमती छोटू गोले (सह-उधारकर्ता), दोनों यहां हैं: ग्राम पीपरखेड़ा तहसील गोगावा पो. बिस्टान खरगौन, भगवानपुरा, मध्य प्रदेश, 451441, भारत, पूर्वी निमाड़, मध्य प्रदेश, भारत-451441, यहां भी: श्री श्याम किराना, पीपरखेड़ा, खरगौन, पूर्वी निमाड़, मध्य प्रदेश, भारत, 451441, यहां भी: हाउस एट सर्वे नंबर 78, पी.एच.नं. 63, ग्राम पीपरखेड़ा, तहसील गोगांव, खरगौन, खरगौन, मध्य प्रदेश, भारत, 451001.	लागू नहीं	सुरक्षित संपत्ति का विवरण : घर पर सर्वे नंबर 78, पी.एच.नं. 63, ग्राम पीपरखेड़ा, तहसील गोगांव, खरगौन, खरगौन, मध्य प्रदेश, भारत, 451001.	07-07-2026	रु.5,36,267.02 (रु. पांच लाख छत्तीस हजार दो सौ सड़सठ और पैसा दो मात्र) 07-07-2026 तक देय
2.	एचओयू/आरएमएएन/0324/12 36142 बी.ओ.: मन्दसौर	श्री /श्रीमती करण सिंह (उधारकर्ता), श्री/श्रीमती माया बाई (सह-उधारकर्ता), दोनों यहां हैं: मुंडाला, मंदसौर, मुंडाला, मंदसौर, मध्य प्रदेश, भारत, 458895 इसके अलावा: मकान नंबर 43, वार्ड नंबर 08, पटवारी हल्का नंबर 42, ग्राम मुंडला, तह. एवं जिला मंदसौर, मंदसौर, मंदसौर, मध्य प्रदेश, 458895	लागू नहीं	सुरक्षित का संपत्ति विवरण: मकान है पर स्थित, घर पंजीकरण संख्या 26, पटवारी हल्का नंबर 25, गांव फ़तेहपुर चिकाली, तह. मल्हारगढ़, जिला मंदसौर, मंदसौर, मल्हारगढ़, मध्य प्रदेश-458990.	07-07-2026	रुपये 10,99,915.72 (रु. दस लाख निन्यानवे हजार नौ सौ पन्द्रह और पैसा बहत्तर मात्र) 07-07-2026 तक देय
3.	एचओयू/आरपीआईटी/1024/5083768 बी.ओ.: पीथमपुर	श्री /श्रीमती किरण बर्डे (उधारकर्ता), श्री/श्रीमती राहुल सोनारे (सह-उधारकर्ता), श्री/श्रीमती मनोज तिवारी (गारंटर), सभी यहां हैं: 16-4 उत्कर्ष विहार के पीछे महूगांव महू जिला इंदौर माय इंश्योर, मध्य प्रदेश,455441 भारत, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत, 453441, यहां भी: वलनी परमंडल बेटेल एमपी 400661, आमला मध्य प्रदेश, 460661, भारत, बैतूल, मध्य प्रदेश, भारत, 460561, यहां भी: श्री/श्रीमती राहुल सोनारे जय इंजीनियरिंग, वार्ड नंबर 10, संस्कार वैली कॉलोनी, एसबीआई बैंक के पीछे, पीथमपुर, जिला धार, मध्य प्रदेश, भारत, 454775. पता: मकान नंबर 33, सर्वे नंबर 16/4, ग्राम महूगाँव, तहसील महू और जिला इंदौर, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत, 453441.	लागू नहीं	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: मकान संख्या 33, सर्वे संख्या 16/4, ग्राम महूगाँव, तहसील महू और जिला इंदौर, इंदौर, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत, 453441	07-07-2026	रुपये 8,71,024/- (रु. आठ लाख इकहत्तर हजार चौबीस मात्र) 07-07-2026 तक देय
4.	एनएचएल/आरयूजेजे/0824/5066030 और एचओयू/आरयूजेजे/0824/5059753 बी.ओ.: उज्जैन	श्री/श्रीमती कृतिका माथुर (उधारकर्ता), श्री/श्रीमती अभिजीत माथुर (सह-उधारकर्ता), दोनों यहां हैं: एल-11 बड़नगर रोड उज्जैन उज्जैन, हाटकेश्वर मंदिर, उज्जैन, उज्जैन, एमपी, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत-456006, इसके अलावा: एल-11, तिरूपति ड्रीम्स उज्जैन बड़नगर रोड उज्जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत, 456001, इसके अलावा यहां: श्रीनाथ जी कम्प्यूटर्स एंड मोबाइल सेल्स एंड सेवा, ए-51, हाटकेश्वर विहार, उजियान, बड़नगर बाईपास रोड उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत-456006, इसके अलावा: पीएचएन-37, मकान नंबर एल-11, सेक्टर एलआईजी, ग्राम दौधखेड़ी, तिरूपति ड्रीम्स, तहसील एवं जिला, उज्जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत-456006.	लागू नहीं	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: पीएचएन-37, मकान संख्या एल-11, सेक्टर एलआईजी, ग्राम दाउदखेड़ी, तिरुपति ड्रीम्स, तहसील और जिला, उज्जैन, उज्जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत-456006	07-07-2026	रुपये 7,10,227.48 (रु. सात लाख दस हजार दो सौ सत्ताइस और पैसा अड़तालीस मात्र) NHL/RUJJ/0824/5066030 के लिए और रुपये 12,55,010.42 (रु. बारह लाख पचपन हजार दस और पैसा बयालीस) HOU/RUJJ/0824/ 5059753 के लिए दिनांक 07-07-2026 तक देय

स्थान : खरगौन, मन्दसौर, पीथमपुर और उज्जैन, दिनांक : 29-7-2026

हस्ता./- अधिकृत अधिकारी, मेसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड